राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर
जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांकःएफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/डब्ल्यूएस(सामान्य)/2019–20/ 14331 दिनांकः 11.3.2020

परिपत्र

सामान्यतः ग्रीष्मकाल में पानी की कमी एवं दूषित पानी पीने के कारण जल जनित/मौसमी बीमारियों की समस्या उत्पन्न होती है। ये समस्याऐं गंदगी, अपर्याप्त साफ–सफाई, दूषित खाद्य/आईसक्रीम खाने एवं दूषित पानी के सेवन से हो सकती है। यद्यपि, उचित सफाई व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण स्वच्छ जल वितरण एवं जलापूर्ति व्यवस्था की निरंतर निगरानी करने से ग्रीष्मकाल में होने वाली बीमारियों एवं पानी की समस्या से बचा जा सकता है।

आगामी ग्रीष्मकाल–2020 के मध्यनजर, संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि, शहरी क्षेत्रान्तर्गत जलापूर्ति व्यवस्था की वितरण प्रणाली में लीकेज दुरूस्त, मेनहॉल ढकने एवं भू–जलाशय/स्वच्छ जलाशय/उच्च जलाशय की साफ–सफाई का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ दिनांक 31.03.2020 से पूर्व पूर्ण करना सुनिश्चित करें। वितरित जल का उचित क्लोरिनेशन एवं कीटाणुशोधन के लिए, निम्न तालिका अनुसार जल नमूने संग्रहण कर गुणवत्ता जांच कराना सुनिश्चित करेंगेः–

Suggested Minimum Sampling Frequency and Number from Distribution System

Population Served	Maximum interval between successive sampling	Minimum no of samples to be taken from entire distribution system
Upto 20,000	One month	One sample per 5,000 of population per month
20,000-50,000	Two weeks	
50,000-1,00,000	Four days	
More than 1,00,000	One days	One sample per 10,000 of population per month

ग्रीष्मकाल में बिन्दुवार मुख्यरूप से निम्न सावधानियां रखी जानी/कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैः–

1. राइज़िग मेन एवं वितरण पाईपलाईन पर अवैध जल संबंधों को काटना सुनिश्चित किया जावे, जिससे की जल स्त्रोत से उत्पादन किये गये पानी की सही मात्रा स्वच्छ जलाशय/उच्च जलाशय में पहुंच सके एवं वैध जल संबंधों को समुचित मात्रा में पेयजल आपूर्ति की जा सके। वितरण पाईपलाईन पर लगे बूस्टर पम्प तुरंत प्रभाव से हटवाये।
2. गैर राजस्व जल (NRW) में सुधार हेतु, पाईपलाईन (मुख्य/वितरण) लीकेज का चिन्हिकरण एवं रिपेयर प्राथमिकता के साथ हो। पूर्व के अनुभव अनुसार लीकेज संभावित बिन्दुओं को चिन्हित करें एवं उन्हें दुरूस्त करने की कार्यवाही करें ताकि प्रदूषित जलापूर्ति से बचा जा

सके, इसके लिये वितरण प्रणाली का समय–समय पर पर्याप्त निरीक्षण एवं मरम्मत/रख–रखाव सुनिश्चित किया जाये। दूषित जलापूर्ति की शिकायत होने पर तुरंत मौका मुआयना कर लीकेज बिन्दु को चिन्हित कर लीकेज दुरूस्त करने की त्वरित कार्यवाही की जावे।

3. निर्धारित समय अंतराल से स्त्रोत, जलशोधन संयंत्र, वितरण प्रणाली एवं उपभोक्ता के स्तर पर जल के नमूने लिये जावे एवं CPHEEO मानको के अनुसार रासायनिक एवं जीवाणु जांच की जावे। अस्वच्छ/दूषित जल जांच में आने पर जल के नमूनों की तुरंत **पुनः जांच की जावे** एवं दूषित जल सुनिश्चित होने पर, उपरोक्त बिन्दु संख्या–1 के अनुसार कार्यवाही तुरंत प्रभाव से की जावे। जो नलकूप सीधे वितरण प्रणाली से जुड़ा है, उनकी रासायनिक एवं जीवाणु जल जांच प्राथमिकता के आधार से की जावे।

4. नये स्त्रोत (नलकूप/हेण्डपम्प/सतही स्त्रोत) से जलापूर्ति रासायनिक एवं जीवाणु जांच राष्ट्रीय मानक अनुसार उपयुक्त पाये जाने पर ही, प्रारंभ करें।

5. प्रायः हेण्डपम्प के चारों ओर जहाँ पानी एकत्र होता है, वहां मच्छर (Disease Vector) इत्यादि पैदा हो जाते है, जिससे इन स्थानों पर जीवाणु पनपने की संभावना ज्यादा रहती है। इन स्थितियों में हेण्डपम्प के पानी की जांच प्राथमिकता से करवानी चाहियें जहां तक हो सके, पानी एकत्रित नहीं होना चाहिये। यदि अगर हेण्डपम्प के पानी में जीवाणु पाये जाते है तो, 50 पीपीएम का क्लोरिन घोल इस जगह डाला जाये और 12 घण्टे तक इस स्त्रोत का पानी उपयोग में नहीं लाया जाये। तत्पश्चात् इस पानी को जीवाणु जांच में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही उपयोग में लाया जा सकता है। यदि स्त्रोत रासायनिक गुणवत्ता में उपयुक्त नहीं है तो स्त्रोत को लाल रंग से पोत कर चेतावनी **"जल पीने योग्य नहीं है"** लिखा जावे।

6. यह सुनिश्चित किया जावे कि भू–जलाशय/उच्च जलाशय/स्वच्छ जलाशय पूर्णतया ढके हो, इनके वेंटीलेटर की जाली टूटी हुई ना हो एवं इनके चारों ओर गंदा पानी एकत्र न होवें। इन जलाशयों की सफाई निर्धारित अवधि (छमाही) में किया जाना सुनिश्चित करें। इन संरचनाओं पर सफाई दिनांक अंकित करें एवं संबंधित नगर परिषद्/पालिका के रजिस्टर में इसका इन्द्राज भी करें।

7. ब्लीचिंग पाउडर/द्रवित क्लोरीन की अग्रिम पर्याप्त मात्रा का स्टोर में होना सुनिश्चित रखे। ब्लीचिंग पाउडर/द्रवित क्लोरीनेटर का उचित रख–रखाव हेतु स्टोर में **उचित डिजाईन/वेंटीलेशन** का भी ध्यान रखा जावे।

8. अंतिम उपभोक्ता बिन्दु पर जल के पर्याप्त क्लोरिनेशन (Residual Chlorine), 0.2 पीपीएम होना सुनिश्चित करें। अगर कहीं जल जनित बीमारी की सूचना है तो यह मात्रा 0.5 पीपीएम की जा सकती है। सभी जलापूर्ति व्यवस्था पर एक क्लोरिनेशन लॉगबुक संधारित की जावें जिसमें क्लोरिनेशन डोज़िंग की मात्रा, दिन, समय एवं अंतिम उपभोक्ता बिन्दु पर

क्लोरिन की मात्रा अंकित की जावे। इस जांच के लिये पर्याप्त मात्रा में क्लोरिन जांच किट का होना सुनिश्चित करें।

9. टैंकर से जलापूर्ति, निर्धारित रासायनिक एवं जीवाणु जांच में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही करें। यदि सार्वजनिक जल स्त्रोत नहीं है तथा टैंकर निजी स्त्रोत से भरा जा रहा है, तो उसे चिन्हित कर पानी की गुणवत्ता वितरण पूर्व मानक अनुसार सुनिश्चित की जाये।
10. चिकित्सा विभाग, जिला/स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से आवश्यक समन्वय स्थापित रखें एवं कोई समस्या होने पर साप्ताहिक बैठक में जिला प्रशासन एवं निदेशालय के तुरंत संज्ञान में लावें।
11. कम दबाव वाले क्षेत्रों में, लीकेज रिपेयर के लिये खोदे गये गड्ढो को तुरंत भरे, इन्हें खुला ना छोड़े।
12. समय रहते ग्रीष्मकाल में पेयजल योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं संधारण हेतु आवश्यक दर संविदाऐं यथा लीकेज सुधार, पम्पिंग मशीनरी रिपेयर/रिवाईडिंग, सबमर्सिबल पम्पसेट/हेण्डपम्प की लोवरिंग/अनलोवरिंग एवं पेयजल टैंकर परिवहन इत्यादि को सक्षम स्तर से समय रहते अनुमोदित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे पेयजल आपूर्ति नियमित रूप से सुचारू रह सके।
13. टैंकर द्वारा पेयजल परिवहन की दर संविदा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रचलित मानदण्ड (Norms) के तहत सक्षम स्तर से अनुमोदित करवाकर ही करवाया जावें (प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है)।
14. दूषित जलापूर्ति से बचने एवं दूषित जलापूर्ति की स्थिति में, इस कार्यालय द्वारा जारी एडवाईजरी क्रमांक F(55)CE/DLB/WS/Gen./2019-20/33711-745 Date: 27.06.2019, के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें (उपरोक्त एडवाईज़री, प्रति संलग्न है)।
15. ग्रीष्मकाल में आमजन से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु शिकायतों को शिकायत पंजिका में दर्ज किया जावें व उनका समय पर त्वरित निस्तारण किया जावे।

अतः उपरोक्त संदर्भ में यह लिखना समयोचित होगा कि निर्देशों की यदि पालना नहीं हुई एवं इसके कारण पेयजल व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न हुई तो संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी को पूर्णरूपेण जिम्मेदार मानते हुए, उनके विरूद्ध सीसीए नियमों के तहत कार्यवाही की जावेगी, जिसे ध्यान देवें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं सयुंक्त सचिव

क्रमांक:एफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/डब्ल्यूएस(सामान्य)/2019–20/ 14331–14365 दिनांक: 11. मार्च 2020

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
4. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको, पुराना कार्यकारी महिला छात्रावास, लालकोठी, टोंक रोड़, जयपुर (Email:ruifco@gmail.com)।
5. परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी, एवीएस बिल्डिंग, जवाहर सर्कल, जेएलएन मार्ग, जयपुर (Email:mailruidp@gmail.com and mail.ruidp@rajasthan.gov.in)।
6. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, बूंदी, जयपुर, नागौर, पाली, करौली एवं राजसमंद।
7. मुख्य अभियंता, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
8. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/भरतपुर/ अजमेर।
9. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद्/पालिका, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बूंदी, नागौर, करौली, नाथद्वारा, नोखा, तख्तगढ़ एवं चौमूं।
10. जन संपर्क अधिकारी, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
11. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता